यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक पी–2, सै0–ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा, सिटी–201308 जनपद–गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक–वाई.ई.ए. / नियोजन / 98 / 2024
दिनांक– 28.06.2024

सेवा में,

M/s Solitaire Realinfra Pvt. Ltd.
D-835, New Friends Colony,
New Delhi-110025

विषयः–भूखण्ड संख्या–B-1/2 Sector-25 पर भवन मानचित्र के रिवैलिडेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया भूखण्ड संख्या B-1/2, Sector-25 पर भवन मानचित्र के रिवैलिडेशन हेतु किये गये आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। रिवैलिडेशन हेतु प्रस्तुत आपके आवेदन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त पत्रांक–वाई.ई.ए. / नियोजन / 1498 / 2024 दिनांक–10.06.2024 के माध्यम से मानचित्र की रिवैलिडेशन / वैधता दिनांक–10.07.2028 तक बढायी गयी है।

इस सम्बन्ध में संस्था के पत्र दिनांक–10.06.2024 पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वित्त विभाग द्वारा भूखण्ड के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में गणना करते हुये उपलब्ध करायी गयी है। जिसके अनुसार भूखण्ड के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर की मूल देयता 4,68,74,614.00 आंकलित है तथा एस0डीजेड0 के नॉन कोर एरिया के कॉमन एरिया को सम्मिलित करते हुये मूल देयता रूपये–5,85,93,268.00 आंकलित होती है व ब्याज सहित दिनांक–30.06.2024 तक रूपये–24,25,71,162.00 धनराशि आंकलित होती है। प्राप्त निर्देशों के कम में भूखण्ड पर अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष देय मूल धनराशि की गणना अनुसार संस्था को दिनांक–30.09.2024 से पूर्व प्राधिकरण के पक्ष में जमा करानी होगी एवं कॉमन एरिया को सम्मिलित करते हुये देयता कम्पलीशन से पूर्व जमा करानी होगी तथा ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त जमा कराया जाना होगा। मानचित्र स्वीकृति की समयवृद्वि के सम्बन्ध में संस्था को दिनांक–10.06.2024 एवं दिनांक–30.09.2020 को जारी पत्र में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

28/06/2024

प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)

प्रतिलिपि–

- महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रबन्धक–सम्पत्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)